

कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा-राजस्थान

क्रमांक : स्था0 / 2026 /

दिनांक : 31.07.2026

-: कार्यालय आदेश :-

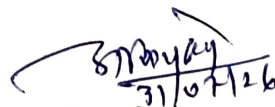
49

मैं अंकित दवे, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाड़ा एतद्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि **माह अगस्त 2026** में राजकीय अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य अधोलिखित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने एवं करस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेट जाँच के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

माह अगस्त, 2026			
क्र.सं.	दिनांक एवं अवकाश	रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1.	2.08.2026 रविवारीय अवकाश	श्री कुलदीप मस्तान, ए.सी.जे.एम कुशलगढ जिला बांसवाड़ा	श्री धनन्जय रीडर 9413305447
2.	08.08.2026 विश्व आदिवासी दिवस / द्वितीय शनिवार अवकाश 09.08.2026 रविवारीय अवकाश	श्रीमती अश्लेषा, जे.एम बांसवाड़ा राज.	श्री भावेश रीडर 9460378406
3.	15.08.2026 स्वतंत्रता दिवस समारोह 16.08.2026 रविवारीय अवकाश	श्री विकास जैन, ए.सी.जे.एम घाटोल	श्री रमाकांत शर्मा रीडर 6376311634
4.	22.08.2026 चतुर्थ शनिवार अवकाश 23.08.2026 रविवारीय अवकाश	श्री अरुण प्रकाश आर्य, ए.सी.जे.एम बागीदौरा जिला बांसवाड़ा	श्री श्यामवीर सिंह रीडर 8824252534
5.	26.08.2026 बारावफात ईद-मिलादुन-नबी अवकाश	सुश्री लिवी जैन, जे.एम गढी, जिला बांसवाड़ा	श्री जयेश रीडर 9413018180
6.	28.08.2026 रक्षाबंधन बंधन अवकाश	सुश्री अलिशा मंसुरी ए.जे.एम बांसवाड़ा	श्री संदीप रीडर 9413454702
7.	30.08.2026 रविवारीय अवकाश	सुश्री लिवी जैन, जे.एम गढी, जिला बांसवाड़ा	श्री जयेश रीडर 9413018180

नोट :-

- रिमाण्ड ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियों में आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।
- उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का स्थानान्तरण हो जाता है अथवा पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा ट्रेनिंग आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर अथवा किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से अवकाश घोषित कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्व अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।
- प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाड़ा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड़ सकेंगे।


मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बांसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था0 / 2026 / 657 - 659

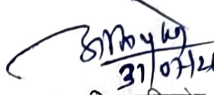
दिनांक : 31.07.2026

प्रतिलिपी :-

- 1- माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बॉसवाड़ा को सूचनार्थ ।
- 2- श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बॉसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि बॉसवाड़ा जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों, पुलिस थानों को इस आदेश से सूचित करावें ।

प्रतिलिपी अधोलिखित को जरिए इंटरनेट माध्यम प्रेषित है:-

- 1- अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा / कुशलगढ / घाटोल / बागीदौरा
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम वर्ग बॉसवाड़ा / गढ़ी / बागीदौरा / आनन्दपुरी
- 3- अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट-प्रथम वर्ग बॉसवाड़ा
- 4- न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गढ़ी / तलवाड़ा


31/07/26
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बॉसवाड़ा (राज.)